

9314
2021/151

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत अभिलाषा, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

सुनिल कुमार वगै० बनाम राज० सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अ०धा० 136 एल.आर.एक्ट

मुकदमा न० 76...../2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-07-21	<p>यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ़ से बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार सूरजगढ़ की जांच रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व ग्राम देवरोड़ की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खसरा न० 260 रकबा 0.08 है०, खसरा न० 261 रकबा 0.86 है०, खसरा न० 262 रकबा 0.07 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.01 है० भूमि में कालुराम पुत्र धाराराम, मांगूराम पुत्र हुक्मा, मामड़ पुत्र धाराराम तथा सजनाराम पुत्र हुक्मा दर्ज रिकार्ड है।</p> <p>प्रार्थना पत्र में संलग्न दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, पैन कार्ड में तथा लोगो से पूछने पर बताया की इनका सही नाम सुनिल कुमार पुत्र धाराराम, मांगेलाल सिराधना पुत्र हुक्माराम, मन्जू देवी पुत्री धाराराम, सज्जन कुमार पुत्र हुक्माराम है।</p> <p>अतः तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का सही नाम राजस्व ग्राम देवरोड़ की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074-77 के खसरा न० 260 रकबा 0.08 है०, खसरा न० 261 रकबा 0.86 है०, खसरा न० 262 रकबा 0.07 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.01 है० भूमि में कालुराम पुत्र धाराराम, मांगूराम पुत्र हुक्मा, मामड़ पुत्र धाराराम तथा सजनाराम पुत्र हुक्मा के स्थान पर सुनिल कुमार पुत्र धाराराम, मांगेलाल सिराधना पुत्र हुक्माराम, मन्जू देवी पुत्री धाराराम, सज्जन कुमार पुत्र हुक्माराम दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं।</p> <p>तहसीलदार सूरजगढ़ उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती की कार्यवाही करें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल नुमां व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर है।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़